संख्या-99/2018/1610/71-2-18-केजीएमयू-58/2017टीसी

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 13 जून, 2018

विषयः- के0जी0एम0यू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न यूनिट के संचालन हेतु पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-900/योजना/18 दिनांक 21-4-2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा के0जी0एम0यू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न यूनिट के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के पदों के सृजन का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि के0जी0एम0यू0 लखनऊ के प्लास्टिक सर्जरी विभाग में स्थापित बर्न यूनिट के संचालन हेतु वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत सीनियर रेजीडेण्ट के 21 पद तथा गैर शैक्षणिक संवर्ग के निम्निलखित 63 पद अर्थात कुल 84 पदों को अस्थायी रूप से दिनांक 28 फरवरी, 2019 तक के लिए बशर्ते इन पदों को इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

Name of the Post	No of Post	Present Pay Scale	Mode of Recruitment	Educational Qualification and other eligibility conditions
Senior Resident	21	PB-2 15600-39100, GP of Rs 6600	As per MCI norms.	
Sister Gr. I	03	PB-2 9300-34800, GP of Rs 4800	100% by promotion	Sister Gr. II based on seniority subject to rejection of unfit and having 05 years exp. as Sister Gr. II
Sister Gr. II	60	PB-2 9300-34800, GP of Rs 4600	100% By Direct Entry	Diploma in General Nursing and midwifery form a recognized institute or equivalent qualification for male Nurse. Preference to those having 3 years exp. in a large hospital or medical college or B.sc Nursing should be a registered "A" Grade Nurse & Midwife with a State Nursing council or equivalent qualification for male nurses.

3- सृजित किये जा रहे पदों पर नियुक्ति निर्धारित अर्हता/आवश्यकता एवं मानकानुसार किये जाने का पूर्ण दायित्व निदेशक संस्थान का होगा।

4- नियमित वेतनमान के पदों पर भर्ती/नियुक्ति आदि की कार्यवाही निर्धारित व्यवस्था एवं नियमों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

5- उक्त पदों की अर्हता एम0सी0आई0 के मानकानुसार निर्धारित की जायेगी। उक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही निर्धारित नियमों एवं एम0सी0आई0 के मानकों के अनुससार की जायेगी।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-0366-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3/1485/दस-2018, दिनांक 12 जून, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-99/2018/1610(1)/71-2-18-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, लखनऊ।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
5. वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/वित्त वे0आ0-1
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।